

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं० : 197/2018

अनवान :

1. रामनिवास पुत्र रणवीर जाति जाट निवासी पटवा तहसील भादरा।
2. कृष्णकुमार पुत्र रणवीर जाति जाट निवासी पटवा तहसील भादरा।
3. कन्हैयाराम पुत्र रणवीर जाति जाट निवासी पटवा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादीगण

बनाम

1. रणवीर पुत्र भुराराम जाति जाट निवासी पटवा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरुस्ती  
अन्तर्गत धारा 88 राज.काश.अधि.

उपस्थिति : वकील श्री मुन्शीराम गोस्वामी : वादीगण

वकील श्री गुरनाम सिंह: प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक : 7.9.18

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार से है कि रोही मोजा पटवा बारानी के खाता संख्या 32/30 के मु.न. 10 किला नं. 3/1 की 0.190 हैक्टर, किला नं. 7 व 8 की 0.506 हैक्टर, किला नं. 13/2 की 0.177 हैक्टर, किला नं. 14 व 17 की 0.506 हैक्टर कुल 1.379 हैक्टर बारानी खातेदारी प्रतिवादी रणवीर के नाम से खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 15 जेजीडब्ल्यू के खाता संख्या 33/41 के मु.न. 75 किला नं. 4, 7 ता 14, 17 ता 20, 21/2, 22/2, 23/2, 24/2, 25/2, की 4.239 हैक्टर बारानी खातेदारी में प्रतिवादी रणवीर के नाम से 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 15 जेजीडब्ल्यू के खाता संख्या 74/73 के मु.न. 32 के किला नं. 3 ता 8 की 1.518 हैक्टर खातेदारी प्रतिवादी रणवीर के नाम से खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 12 जेजीडब्ल्यू के खाता संख्या 69/65 के मु.न. 34 के किला नं. 24 व 25 की 0.506 हैक्टर मु.न. 35 किला नं. 21 ता 23 की 0.759 हैक्टर मु.न. 54 के किला नं. 1 ता 3 की 0.759 हैक्टर मु.न. 55 किला नं. 2 ता 5 की 1.012 हैक्टर कुल 3.036 हैक्टर नहरी मय रास्ता की खातेदारी प्रतिवादी रणवीर के नाम से खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 14 जेजीडब्ल्यू के खाता संख्या 77/82 के मु.न. 45 किला नं. 6 व 7, 14 ता 17 की 1.518 हैक्टर बारानी खातेदारी रणवीर के नाम से खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 14 जेजीडब्ल्यू के खाता संख्या 78/83 के मु.न. 45 के किला नं. 23 ता 25 की 0.670 हैक्टर बारानी खातेदारी प्रतिवादी रणवीर के नाम से खातेदारी दर्ज है। प्रमाणित प्रतियां जमाबंदी हाल वादभूमि संलग्न वाद है।



*Rw*  
सहायक कलक्टर  
(फास्ट ट्रेक) भादरा (हनुमानगढ़)


वादभूमि वादीगण एवं प्रतिवादी रणवीर का पारिवारिक सैटलमेन्ट हो गया था जिसमें प्रतिवादी रणवीर के हिस्सा में चक 15 जेजीडब्ल्यू के खाता संख्या 74/73 की 1.518 हैक्टर भूमि आ गई तथा शेष भूमि वादीगण को बहिस्सा बराबर के अनुसार प्राप्त हो गई थी तथा इसी अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी रणवीर की कब्जा काश्त चली आ रही है। परन्तु रिकार्ड माल में कुल वादभूमि अब भी तन्हा प्रतिवादी रणवीर के नाम से दर्ज चली आ रही है जिससे वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

ऐसी स्थिति में वादीगण न्यायालय से यह घोषणा करवाने के कानूनी अधिकारी है कि वादभूमि रोही मोजा पटवा बारानी के खाता संख्या 32/30 के मु.न. 10 किला नं. 3/1 की 0.190 हैक्टर, किला नं. 7 व 8 की 0.506 हैक्टर, किला नं. 13/2 की 0.177 हैक्टर, किला नं. 14 व 17 की 0.506 हैक्टर कुल 1.379 हैक्टर बारानी खातेदारी प्रतिवादी रणवीर के नाम से खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 15 जेजीडब्ल्यू के खाता संख्या 33/41 के मु.न. 75 किला नं. 4, 7 ता 14, 17 ता 20, 21/2, 22/2, 23/2, 24/2, 25/2, की 4.239 हैक्टर बारानी खातेदारी में प्रतिवादी रणवीर के नाम से 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 12 जेजीडब्ल्यू के खाता संख्या 69/65 के मु.न. 34 के किला नं. 24 व 25 की 0.506 हैक्टर मु.न. 35 किला नं. 21 ता 23 की 0.759 हैक्टर मु.न. 54 के किला नं. 1 ता 3 की 0.759 हैक्टर मु.न. 55 किला नं. 2 ता 5 की 1.012 हैक्टर कुल 3.036 हैक्टर नहरी मय रास्ता की खातेदारी प्रतिवादी रणवीर के नाम से खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 14 जेजीडब्ल्यू के खाता संख्या 77/82 के मु.न. 45 किला नं. 6 व 7, 14 ता 17 की 1.518 हैक्टर बारानी खातेदारी रणवीर के नाम से खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 14 जेजीडब्ल्यू के खाता संख्या 78/83 के मु.न. 45 के किला नं. 23 ता 25 की 0.670 हैक्टर बारानी खातेदारी प्रतिवादी रणवीर के नाम से खातेदारी दर्ज है, उसके वादीगण बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार है तथा उक्त भूमि में प्रतिवादी रणवीर का कोई हक हिस्सा नहीं है। बाद घोषणा जमाबंदी हाल में प्रतिवादी रणवीर का नाम कलमजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें।

वादभूमि में वादीगण ने अपने हक अधिकारों की घोषणा के लिये उक्त दावा पेश किया है जिसकी बाबत वादभूमि की लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार होने के चलते उसे जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा पक्षकार प्रतिवादी बनाया गया है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को वादभूमि में वादीगण के खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने एवं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड को दुरुस्त करवाने के लिये कहा तो प्रतिवादी ने ऐसा करने से साफ इन्कार कर दिया। लिहाजा यही बिनाय मुख्यास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गय सम्मन तामील होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादी सं० 1 ने आपसी सहमति से राजीनामा कर लिया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया वकील वादीगण ने प्रतिवादी सं. 2 को फोरमल पक्षकार होने के कारण तर्क किया व बाद पत्रावली साक्ष्यवादी हेतु रखी गयी।

  
सहायक कलक्टर  
(फास्ट ट्रेक) भादरा (हनु.)

साक्ष्य वादी में रामनिवास पुत्र रणवीर जाति जाट निवासी पटवा तहसील भादरा के बयान करवाये गये एवं दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी पटवा बारानी सम्वत 2073-76 प्रदर्श 1, जमाबंदी सम्वत 2053 प्रदर्श 2 इन्तकाल संख्या 54 चक 15 जेजीडब्ल्यू प्रदर्श 3, जमाबंदी चक 15 जेजीडब्ल्यू सम्वत 2073 प्रदर्श 4 से 6, जमाबंदी चक 15 जेजीडब्ल्यू सम्वत 2045 प्रदर्श 7, चक 14 जेजीडब्ल्यू जमाबंदी सम्वत 2073 प्रदर्श 8 व 9, चक 14 जेजीडब्ल्यू सम्वत 2016 प्रदर्श 10, जमाबंदी चक 12 जेजीडब्ल्यू सम्वत 2072-75 प्रदर्श 11, जमाबंदी चक 12 जेजीडब्ल्यू सम्वत 2029 प्रदर्श 12, ग्राम पंचायत रामगढिया द्वारा जारी सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 13 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई। बहस का मनन किया गया एवं पत्रावली एवं रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने रोही मोजा पटवा बारानी के खाता संख्या 32/30 के मु.न. 10 किला नं. 3/1 की 0.190 हैक्टर, किला नं. 7 व 8 की 0.506 हैक्टर, किला नं. 13/2 की 0.177 हैक्टर, किला नं. 14 व 17 की 0.506 हैक्टर कुल 1.379 हैक्टर बारानी खातेदारी प्रतिवादी रणवीर के नाम से खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 15 जेजीडब्ल्यू के खाता संख्या 33/41 के मु.न. 75 किला नं. 4, 7 ता 14, 17 ता 20, 21/2, 22/2, 23/2, 24/2, 25/2, की 4.239 हैक्टर बारानी खातेदारी में प्रतिवादी रणवीर के नाम से 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 12 जेजीडब्ल्यू के खाता संख्या 69/65 के मु.न. 34 के किला नं. 24 व 25 की 0.506 हैक्टर मु.न. 35 किला नं. 21 ता 23 की 0.759 हैक्टर मु.न. 54 के किला नं. 1 ता 3 की 0.759 हैक्टर मु.न. 55 किला नं. 2 ता 5 की 1.012 हैक्टर कुल 3.036 हैक्टर नहरी मय रास्ता की खातेदारी प्रतिवादी रणवीर के नाम से खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 14 जेजीडब्ल्यू के खाता संख्या 77/82 के मु.न. 45 किला नं. 6 व 7, 14 ता 17 की 1.518 हैक्टर बारानी खातेदारी रणवीर के नाम से खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 14 जेजीडब्ल्यू के खाता संख्या 78/83 के मु.न. 45 के किला नं. 23 ता 25 की 0.670 हैक्टर बारानी खातेदारी प्रतिवादी रणवीर के नाम से खातेदारी दर्ज है, उसके वादीगण बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार है तथा उक्त भूमि में प्रतिवादी रणवीर का कोई हक हिस्सा नहीं है।

अतः वाद वादीगण साबित होने पर डिक्री कर घोषणा की जाती है कि रोही मोजा पटवा बारानी के खाता संख्या 32/30 के मु.न. 10 किला नं. 3/1 की 0.190 हैक्टर, किला नं. 7 व 8 की 0.506 हैक्टर, किला नं. 13/2 की 0.177 हैक्टर, किला नं. 14 व 17 की 0.506 कृषि भूमि, कुल 1.379 हैक्टर बारानी खातेदारी प्रतिवादी रणवीर के नाम से दर्ज खातेदारी, चक 15 जेजीडब्ल्यू के खाता संख्या 33/41 के मु.न. 75 किला नं. 4, 7 ता 14, 17 ता 20, 21/2, 22/2, 23/2, 24/2, 25/2, की 4.239 हैक्टर बारानी खातेदारी में प्रतिवादी रणवीर के नाम से 1/3 हिस्सा दर्ज खातेदारी कृषि भूमि, चक 12 जेजीडब्ल्यू के खाता संख्या 69/65 के मु.न. 34 के किला नं. 24 व 25 की 0.506 हैक्टर मु.न. 35 किला नं. 21 ता 23 की 0.759 हैक्टर मु.न. 54 के किला नं. 1 ता 3 की 0.759 हैक्टर मु.न. 55 किला नं. 2 ता 5 की 1.012 हैक्टर कुल 3.036 हैक्टर नहरी मय रास्ता की प्रतिवादी रणवीर के नाम से दर्ज खातेदारी, चक 14 जेजीडब्ल्यू के खाता संख्या 77/82 के मु.न. 45 किला नं. 6 व 7, 14 ता 17 की 1.518 हैक्टर बारानी प्रतिवादी रणवीर के नाम से दर्ज खातेदारी कृषि

सहायक कलक्टर  
(फास्ट ट्रेक) भादरा (रजु.)

भूमि, चक 14 जेजीडब्ल्यू के खाता संख्या 78/83 के मु.न. 45 के किला नं. 23 ता 25 की 0.670 हैक्टर बारानी प्रतिवादी रणवीर के नाम से दर्ज खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं. 1 रणवीर का नाम कलमजन कर उक्त वादभूमि के वादीगण बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार है, एव चक 15 जेजीडब्ल्यू के खाता संख्या 74/73 की 1.518 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी रणवीर खातेदार काश्तकार यथावत रखा जावे। तथा दावा में प्रतिवादी सं० 1 रणवीर के द्वारा हक त्याग किये गये हिस्से के लिए नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित स्टॉप ड्युटी व पंजीयन शुल्क जमा करवाये जाने के पश्चात वादीगण को संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर 1/3-1/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार वाद भूमि के स्टाम्प ड्युटी व पंजीयन शुल्क जमा करवाने के पश्चात् तथा वादभूमि बैंक के रहन हो तो रहन मुक्त होने के बाद राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ...7:9:18..... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राजकुमार कस्वा)  
सहायक कलक्टर  
(फास्ट ट्रेक) भादरा (हनु.)  
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक)  
भादरा, जिला हनुमानगढ़

## पर्चा डिक्री

### न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं० : 197/2018

अनवान :

1. रामनिवास पुत्र रणवीर जाति जाट निवासी पटवा तहसील भादरा।
2. कृष्णकुमार पुत्र रणवीर जाति जाट निवासी पटवा तहसील भादरा।
3. कन्हैयाराम पुत्र रणवीर जाति जाट निवासी पटवा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादीगण

#### बनाम

1. रणवीर पुत्र भुराराम जाति जाट निवासी पटवा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज.काश.अधि.



आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री मुन्शीराम गोस्वामी एवं वकील प्रतिवादी श्री गुरनाम सिंह की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एव राजीनामा के आधार पर वाद वादीगण साबित होने पर डिक्री कर घोषणा की जाती है कि रोही मोजा पटवा बारानी के खाता संख्या 32/30 के मु.न. 10 किला नं. 3/1 की 0.190 हैक्टर, किला नं. 7 व 8 की 0.506 हैक्टर, किला नं. 13/2 की 0.177 हैक्टर, किला नं. 14 व 17 की 0.506 कृषि भूमि, कुल 1.379 हैक्टर बारानी खातेदारी प्रतिवादी रणवीर के नाम से दर्ज खातेदारी, चक 15 जेजीडब्ल्यू के खाता संख्या 33/41 के मु.न. 75 किला नं. 4, 7 ता 14, 17 ता 20, 21/2, 22/2, 23/2, 24/2, 25/2, की 4.239 हैक्टर बारानी खातेदारी में प्रतिवादी रणवीर के नाम से 1/3 हिस्सा दर्ज खातेदारी कृषि भूमि, चक 12 जेजीडब्ल्यू के खाता संख्या 69/65 के मु.न. 34 के किला नं. 24 व 25 की 0.506 हैक्टर मु.न. 35 किला नं. 21 ता 23 की 0.759 हैक्टर मु.न. 54 के किला नं. 1 ता 3 की 0.759 हैक्टर मु.न. 55 किला नं. 2 ता 5 की 1.012 हैक्टर कुल 3.036 हैक्टर नहरी मय रास्ता की प्रतिवादी रणवीर के नाम से दर्ज खातेदारी, चक 14 जेजीडब्ल्यू के खाता संख्या 77/82 के मु.न. 45 किला नं. 6 व 7, 14 ता 17 की 1.518 हैक्टर बारानी प्रतिवादी रणवीर के नाम से दर्ज खातेदारी कृषि भूमि, चक 14 जेजीडब्ल्यू के खाता संख्या 79/83 के मु.न. 45 के किला नं. 23 ता 25 की 0.670 हैक्टर बारानी प्रतिवादी रणवीर के नाम से दर्ज खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं. 1 रणवीर का नाम

सहायक कलक्टर  
(फास्ट ट्रेक) भादरा (हनु.)

कलमजन कर उक्त वादभूमि के वादीगण बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार है, एव चक 15 जेजीडब्ल्यू के खाता संख्या 74/73 की 1.518 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी रणवीर खातेदार काश्तकार यथावत रखा जावे। तथा दावा में प्रतिवादी सं० 1 रणवीर के द्वारा हक त्याग किये गये हिस्से के लिए नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित स्टॉप ड्युटी व पंजीयन शुल्क जमा करवाये जाने के पश्चात वादीगण को संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर 1/3-1/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार वाद भूमि के स्टाम्प ड्युटी व पंजीयन शुल्क जमा करवाने के पश्चात् तथा वादभूमि बैंक के रहन हो तो रहन मुक्त होने के बाद राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ...7.9.18..... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(राजकुमार कस्वा)  
सहायक कलेक्टर  
(फास्ट ट्रेक) (कार्टर (ट्रेक))  
भादरा, जिला हनुमानगढ़